प्रेस नोट–85 / 2026
दिनांक 08.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–जनपद चंदौली से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त खलील जनपद चंदौली से गिरफ्तार।

दिनांक 08–02–2026 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना सैयदराजा, जनपद चंदौली से वांछित रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त खलील को जनपद चंदौली से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

खलील पुत्र रफीक उर्फ रतिक निवासी नगलिया आकिल थाना अजीमनगर रामपुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

मिशलपुर, दिल्ली कोलकाता हाईवे, निकट डीग्घी गांव मोड़, थाना क्षेत्र–चंदौली जनपद– चंदौली, दिनांक 08–02–2026 समय करीब 15:15 बजे

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत कुछ दिनों से फरार एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रहीं थीं। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री लाल प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में एसटीएफ टीम जनपद–चंदौली में भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि थाना–सैयदराजा, जनपद–चंदौली में पंजीकृत मु०अ०सं०–38/2023, धारा 3/5ए /5बी/8 गोवध नि०अ० व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में वांछित एवं पुरस्कार घोषित अभियुक्त खलील उपरोक्त मिशलपुर, दिल्ली कोलकाता हाईवे, थाना क्षेत्र चंदौली जनपद–चंदौली के पास मौजूद है। प्राप्त सूचना पर मुख्य आरक्षी प्रभाकर पाण्डेय व गौरव सिंह की टीम द्वारा वांछित अभियुक्त खलील को उपरोक्त स्थान से गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि इसका एक गिरोह है, जो यू0पी0, हरियाणा, पंजाब व बिहार आदि राज्यों से गोवंशीय पशुओं की असम, पश्चिम बंगाल

आदि राज्यों में तस्करी करता है। मार्च –2023 में थाना–सैयदराजा, जनपद–चंदौली में अभियोग पंजीकृत होने पर बिहार, हरियाणा, मुंबई, दिल्ली तथा अहमदाबाद में छिप कर रह रहा था। अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय से एन0बी0डब्ल्यू0 तथा 82/83 सी0आ0पी0सी0 की कार्यवाही की जा चुकी है।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना–सैयदराजा, जनपद–चंदौली में पंजीकृत मु0अ0सं0 मु०अ०सं०–38/2023, धारा 3/5ए /5बी/8 गोवध नि०अ० व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकरी की जा रही है।

अभियुक्त खलील का आपराधिक इतिहास निम्नवत है –

1–मु०अ०सं०–156/2005, धारा 3/5ए /8 गोवध नि०अ०,थाना–गजरौला, अमरोहा।

2–मु०अ०सं०–72/2009, धारा 3/5ए /8 गोवध नि०अ०,थाना– मुरादनगर, गाजियाबाद।

3–मु०अ०सं०– 315/2017, धारा 174ए भादवि, थाना– मुरादनगर, गाजियाबाद।

4–मु०अ०सं०– 712/2017, धारा 25 आर्म्स एक्ट ,थाना– मुरादनगर, जनपद– गाजियाबाद

5–मु०अ०सं०– 317/2017, धारा 174ए भादवि ,थाना– मुरादनगर, जनपद– गाजियाबाद

6–मु०अ०सं०– 315/2017, धारा 3/5ए /5बी/8 गोवध नि०अ० व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम,थाना–अजीमनगर, जनपद– रामपुर

7–मु०अ०सं०– 301/2019, धारा 3/5ए /5बी/8 गोवध नि०अ०,थाना–अजीमनगर, जनपद–रामपुर

8–मु०अ०सं०– 62/2021, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट ,थाना–अजीमनगर, जनपद– रामपुर

9–मु०अ०सं०– 130/2021, धारा 3/5ए /5बी/8 गोवध नि०अ०,11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 429 भादवि, थाना–पटहेरवा, जनपद– कुशीनगर

10–मु०अ०सं०– 79/2022, धारा 3/5ए /5बी/8 गोवध नि०अ० व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 307 भादवि,थाना–सुरसा, जनपद–हरदोई

11–मु०अ०सं०–472/2022, धारा 3(2) यू०पी० गैंगस्टर एक्ट ,थाना–सुरसा, जनपद–हरदोई

12–मु०अ०सं०–38/2023, धारा 3/5ए /5बी/8 गोवध नि०अ० व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम,थाना–सैयदराजा, जनपद–चन्दौली

13–मु०अ०सं०–39/2024, धारा 3/5ए /5बी/8 गोवध नि०अ० व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम,थाना–अजगैन, जनपद–उन्नाव

14–मु०अ०सं०–74/2024, धारा 3/5ए /5बी/8 गोवध नि०अ०,3/25 आर्म्स एक्ट व 174ए भादवि ,थाना–अजगैन, जनपद–उन्नाव

कमिश्नरेट आगरा/थाना सदर बाजार

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के माल बिक्री के 02 लाख 80 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 07.02.2026 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डेरी फार्म के जंगल के पास से 02 अभियुक्तों 1–आमीन उर्फ कल्ला 2–अमित उर्फ घंटोली को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के माल बिक्री के 02 लाख 80 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना सदर बाजार क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त आमीन उर्फ कल्ला के विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग एवं अभियुक्त अमित उर्फ घंटोली के विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आमीन उर्फ कल्ला निवासी ग्राम टपरा थाना मलपुरा कमिश्नरेट आगरा।

2–अमित उर्फ घंटोली निवासी पुराना गल्ला मंडी थाना किरावली कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1–चोरी के माल बिक्री के 02 लाख 80 हजार रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **अवैध मादक पदार्थ बिक्री के 01 लाख 24 हजार 640 रूपये नगद**
- **02 किलो 190 ग्राम अवैध गांजा, 160 ग्राम अल्प्राजोलम बरामद**

दिनांक 08.02.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जल प्लान्ट के पास से 02 अभियुक्तों 1–सोनू 2–दीपक उर्फ भज्जी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से अवैध मादक पदार्थ बिक्री के 01 लाख 24 हजार 640 रूपये नगद, 02 किलो 190 ग्राम अवैध गांजा, 160 ग्राम अल्प्राजोलम बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोनू निवासी बिहारीपुरा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2–दीपक उर्फ भज्जी निवासी बिहारीपुरा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1–अवैध मादक पदार्थ बिक्री के 01 लाख 24 हजार 640 रूपये नगद।

2–02 किलो 190 ग्राम अवैध गांजा, 160 ग्राम अल्प्राजोलम।

- **<u>जनपद गोण्डा (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 52 लाख 42 हजार रूपये की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद गोण्डा पुलिस ने अभियुक्त मो0खलील पुत्र अब्दुल हाजी नजीर एवं चांद बाबू उर्फ तौफीक पुत्र मो0 खलील निवासीगण पटेलनगर मालवीय नगर थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी सम्पत्ति लगभग 52 लाख 42 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

————